

26.07.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया, पुकार पर अभियुक्त अनुपस्थित।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

पत्रावली वर्ष 2000 के लंबित चली आ रही है और प्रकरण में दिनांक 05.08.2014 को अभियोजन को निर्देशित किया गया था, लेकिन कोई भी साक्षी अभियोजन के द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक को आदेशित किया जाता है कि वे प्रत्येक स्थिति में नियत तिथि पर अपने साक्षीगण पेश करें।

पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य अभियोजन दिनांक 16.08.2023 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-6/
विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर), प्रतापगढ़।